प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 140/2007

अपीलार्थी (जेल में निरुद्ध) - प्रफुल्ल पांडे उर्फ राजू, आयु लगभग 40 वर्ष, पिता परसराम पांडे, निवासी ग्राम पोंडी, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना तखतपुर , जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

युगलपीठः माननीय श्री एल.सी. भादू,

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीशगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितिः-

कुमारी निरुपमा बाजपेयी, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री डी.के. ग्वालरे, अतिरिक्त लोक अभियोजक, राज्य/प्रतिवादी की ओर से।

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश,

मौखिक निर्णय

(दिनांक 21 मार्च, 2007 को प्रदत्त)

विविध (दांडिक) प्रकरण क्रमांक 387/2007—अपील प्रस्तुत करने में विलंब के क्षमा हेतु आवेदन—तथा प्रवेश स्तर पर सुना गया।

कार्यालयीन प्रतिवेदन के अनुसार, इस अपील के प्रस्तुत करने में 2,333 दिनों का विलंब हुआ है।

विलंब के क्षमा हेतु प्रस्तुत आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि अपील दायर करने के लिए निर्णय की प्रति अपीलार्थी के एक रिश्तेदार को दी गई थी, इसलिए अपीलार्थी

को यह सद्भावनापूर्ण विश्वास था कि अपील दायर कर दी गई है, किंतु बाद में जब उसने उच्च न्यायालय से जानकारी प्राप्त की, तब पता चला कि कोई अपील दायर नहीं की गई है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। इस आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जिस रिश्तेदार को निर्णय की प्रति दी गई थी, उसका नाम क्या है; यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उच्च न्यायालय से अपील दायर होने के संबंध में कब जानकारी प्राप्त की गई तथा किस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से इस संबंध में पूछताछ की। अतः अपील दायर करने में हुए 2,333 दिनों (अर्थात् 6 वर्ष 5 माह 23 दिन) के विलंब के क्षमा हेतु कोई पर्याप्त कारण प्रदर्शित नहीं किया गया है।

मूल प्रकरण पर भी हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 7 एवं 8 जून, 1998 की मध्यरात्रि लगभग 12 बजे, अभियुक्त के भाई महेंद्र कुमार ने यह कहकर शोर मचाया कि घर में आग लग गई है। इस पर कड़ी शंकर (अ.सा.-9) तथा अन्य लोग महेंद्र कुमार के घर पहुँचे, जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी प्रफुल्ल एवं उसकी पत्नी अरुणा भी निवास करते थे। कड़ी शंकर (अ.सा.-9) ने देखा कि अरुणा का शरीर घर के दरवाजे के पास पड़ा हुआ था और जल रहा था। अभियुक्त घर के अंदर था। पूछताछ करने पर महेंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त घर के अंदर है। तब तक अरुणा की मृत्यु हो चुकी थी और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। कड़ी शंकर ने प्रफुल्ल को आवाज दी, जो अपने कमरे से बाहर आया। उसने प्रफुल्ल से आग बुझाने को कहा, जिस पर अभियुक्त बाल्टी में पानी लाकर अरुणा के शरीर पर डालने लगा। इस पर कड़ी शंकर ने उससे कहा कि पानी से नहीं, बल्कि कपड़े से आग बुझाने का प्रयास करे। तब अभियुक्त कपड़ा लाया और आग बुझाई।

घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। शव का मृत्युसमीक्षा (प्र.पी.-2) भगवती बाई, बलदाऊ प्रसाद, राम सहाय, मनहरण निर्मलकर, शांति बाई (मृतका की माता) एवं वीरेंद्र (मृतका का भाई) की उपस्थिति में तैयार किया गया। मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पूरा शरीर जला

हुआ था, जीभ बाहर निकली हुई थी और दाँतों के बीच फंसी हुई थी। जब शव को पलटा गया तो पाया गया कि पीठ का भाग पूर्णतः नहीं जला था।

शव परीक्षण डॉ. वी.के. सोनी, डॉ. जी.पी. नायडू एवं डॉ. श्रीमती एस. जितपुरे द्वारा किया गया और उन्होंने शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी.-5) तैयार की, जिसमें मृत्यु के कारण के संबंध में कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया जा सका। डॉ. वी.के. सोनी (अ.सा.-4) का परीक्षण किया गया, जिन्होंने अपने कथन में कहा कि शव से केरोसिन की गंध आ रही थी, शरीर पर लगभग 100% जलन के घाव थे, शरीर पर फफोले नहीं थे, जलन द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की थी, मृतका की जीभ बाहर निकली हुई थी और दाँतों के बीच थी। श्वासनली में कार्बन कण नहीं पाए गए।

अपने कथन के कंडिका 9 में उन्होंने कहा कि इस मामले में शरीर के विभिन्न भागों में रक्तसंचार था और दम घुटने के कारण मृत्यु हुई। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्यतः दम घुटने की स्थिति में जीभ बाहर निकल आती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त मृत्युसमीक्षा, शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा डॉ. वी.के. सोनी के साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में, यदि हम कड़ी शंकर (अ.सा.-9) के साक्ष्य का अवलोकन करें, तो उसने अपने कथन में कहा है कि रात्रि लगभग 11-11:30 बजे उसने अभियुक्त के भाई महेंद्र कुमार की आवाज सुनी कि आग लग गई है। इस पर वह महेंद्र कुमार के घर गया, क्योंकि महेंद्र कुमार और अभियुक्त प्रफुल्ल एक ही घर में रहते थे। वहाँ उसने देखा कि अरुणा का शव दरवाजे के पास पड़ा हुआ था और जल रहा था तथा अभियुक्त घर के अंदर था। पूछताछ करने पर महेंद्र कुमार ने बताया कि प्रफुल्ल घर के अंदर है। इस बीच छेदी, राम सहाय एवं अन्य पड़ोसी भी वहाँ आ गए। तब तक अरुणा की मृत्यु हो चुकी थी और वह निष्क्रिय (बिना किसी हरकत के) पड़ी थी। उसने प्रफुल्ल को आवाज दी, जो घर से बाहर आया। उसने प्रफुल्ल से आग बुझाने को कहा, जिस पर अभियुक्त बाल्टी में पानी लाकर अरुणा के शरीर पर डालने लगा। इस पर उसने अभियुक्त से कहा कि पानी से नहीं, बल्कि कपड़ों से आग बुझाने का प्रयास करे। तब अभियुक्त कपड़े लाया और आग बुझाई।

अभियुक्त उस समय घर में उपस्थित था, जब अरुणा का शरीर जल रहा था। वह कड़ी शंकर (अ.सा.-9) द्वारा बुलाए जाने पर ही कमरे से बाहर आया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में अभियुक्त ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अरुणा को जलने की चोटें किन परिस्थितियों में लगीं; उसने केवल इतना कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फँसाया गया है।

जब वह घर में उपस्थित था, तब यह तथ्य उसके विशेष ज्ञान में था कि अरुणा को जलने की चोटें कैसे लगीं, किंतु उसने इस संबंध में मौन रहना ही उचित समझा। अतः उसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उस पर निहित भार का निर्वहन नहीं किया। अभियुक्त का आचरण भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। जब अरुणा जल रही थी और उसे 100% तक जलने की चोटें आई थीं, तब ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए जलते समय सहायता हेतु पुकारना संभव नहीं था। ऐसे में, अभियुक्त घर के अंदर ही क्यों बना रहा, इसका उसने किसी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त तथ्यों के साथ यदि हम डॉ. वी.के. सोनी के साक्ष्य का परीक्षण करें, तो उन्होंने अपने कथन में कहा है कि शव से केरोसिन की गंध आ रही थी, जलने की चोटें द्वितीय से तृतीय श्रेणी तक की थीं, शरीर के विभिन्न भागों में रक्तसंचार था, जीभ बाहर निकली हुई थी और दाँतों के बीच फंसी हुई थी, श्वासनली में कार्बन कण नहीं पाए गए तथा पैरा 9 में उन्होंने कहा कि मृत्यु के लक्षण दम घुटने को दर्शाते हैं। कड़ी शंकर (अ.सा.-9) के साक्ष्य के अनुसार, जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब मृतका का शरीर निष्क्रिय (बिना किसी हरकत के) था। ये सभी परिस्थितियाँ इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि मृतका की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई और उसके पश्चात उसे आग लगाई गई। मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि पीठ का भाग पूर्णतः नहीं जला था, जो यह दर्शाता है कि शरीर निष्क्रिय अवस्था में था, इसी कारण उसका पिछला भाग पूर्ण रूप से नहीं जल सका।

परिणामतः, यह अपील विलंब के आधार पर तथा गुण-दोष के आधार पर, प्रवेश स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

फलस्वरूप, विविध (दांडिक) प्रकरण क्रमांक 386/2007 एवं 387/2007 का भी निराकरण किया जाता है।

सही/- **सही/-**

(एल.सी. भादू) **(धीरेंद्र मिश्रा)**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur